संख्या-15/2019/2140/71-4-2019-जी-137/2018टी0सी0-6

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

विषयः- अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 के भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/2019/3779 दिनांक 10.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.12.2019 में अनुमोदित लागत रू0 20176.68 लाख (रूपये दो सौ एक करोड़ छियात्तर लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2- 615/दस-2019 दिनांक 13.12.2019 के द्वारा प्रदेश में 50 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से खुली निविदायें आमंत्रित करके ई0पी0सी0 मोड में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रश्नगत परियोजना के कार्यदायी संस्था के नामांकन संबधी शासनादेश संख्या-1895/71-4-2019- जी-137/2018टी0सी0-6 दिनांक 04.11.2019 को निरस्त किया जाता है तथा शासनादेश दिनांक 13.12.2019 के क्रम में लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जाता है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा अपितु कार्य की आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा। पी0डब्लू0डी0 द्वारा संबंधित संस्था को भुगतान कार्य पूर्ण होने की स्थिति में ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- महानिदेशक, चि0 शि0/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भूमि के निर्विवाद होने के संबंध में पुष्टि करा ली जायगी।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

7- वित्त आय-व्ययक के अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2- 615/दस-2019 दिनांक 13.12.2019 के अनुसार भवन निर्माण हेतु सर्वप्रथम प्रायोजना की डी0पी0आर0 लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कराकर क्रियान्वयन ई0पी0सी0 मोड पर कराया जायेगा।

8- प्रायोजना में थर्ड पार्टी क्वालिटी आडिट/इन्शपेक्शन हेतु प्रस्तावित 1.5 प्रतिशत को अनुमन्य नहीं किया गया है।

9- प्रायोजना प्रस्ताव में सबस्टेशन उपकरण, डी0जी0 सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, एस0टी0पी0, ई0पी0बी0एक्स0 की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया

है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त की जायेंगी। यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

10- प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न भवनों के फर्नीचर, यू0पी0एस0 सिस्टम, ई0पी0सी0एक्स0 एवं सी0सी0 टी0वी0 के क्रय एवं स्थापना के प्राविधान को अनुमन्य नहीं किया गया है। इस हेतु पृथक से सहमति प्राप्त की जायेगी।

11- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

12- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

13- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

14- प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण/कार्यदायी संस्था की होगी।

15- प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

16- उच्च विशिष्टियों के प्रयोग पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अतः प्रायोजना में केन्द्रीय वातानुकूल (वी0आर0वी0/वी0आर0एफ0) फाल्स सीलिंग, साउण्ड प्रूफ डोर आदि उच्च विशिष्टियों का प्रयोग प्रश्नगत परियोजना में किया जा सकेगा।

17- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

18- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्र0वि0 द्वारा प्रस्ताव पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3 - उक्त पर होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 105-एलोपैथी-78-मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1613/दस-2019 दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या-15/2019/2140(1)/71-4-19-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियनता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, लखनऊ।

9. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।